संख्याः 684/ XVII-2/16-02(OBC)/2012

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक : 10 मई, 2016

विषयः अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष किये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2016 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 01 वर्ष से बढ़ाकर 03 वर्ष की गयी है तथा यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष मान्य होगी। शासनादेश संख्या-590/XVII-3/12-05(ओ0बी0सी0)/2010 दिनांक 30 मई, 2012 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र 01 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष हेतु लागू होगा अथवा नहीं, के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कतिपय माध्यमों से शिकायतें/जिज्ञासाएं प्राप्त हुई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2016 को तथा उसके उपरान्त निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर लागू होगा, इससे पूर्व निर्गत प्रमाण पत्रों पर शासनादेश सं0-590/XVII-3/12-05(ओ0बी0सी0)/2010 दिनांक 30 मई, 2012 की व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः-684 (1) / XVII-2/16-02(OBC)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल, नैनीताल/पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक)
8. सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

New Computer g.o. letter